

11.5.18

पत्रावली CPC को धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच
के स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 22/5/18

के स्थान पर दिनांक 11.5.18 को राजस्व लांक
अदालत बेंच स्थान इशारेल के

अवकाश प्रस्तुत हों, तदनुसार सभी पक्षकारण मुद्रित हों।

सहायक कलेक्टर (SDO), चोहटन, पंजाब

11.5.18 पत्रावली पेश हुई। चूंकि भूल वाद में

निर्णय किया जा चुका है। कृपया इस आवेदन
में जागामी कार्यवाही का कोई औचित्य
नहीं रहा। कृपया इस आवेदन में जागामी
इली ह्वर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली

केवल शुभार होकर दायित्व दफ्तर ले।

सहायक कलेक्टर
चोहटन